

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
अधिसूचना


संख्या-6/अ0प्र0-06-10/2025 3984

पटना, दिनांक- 07.04.2025

श्री मनीष कुमार-2(गृह जिला-गया), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-01 अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
07/04/25  
(समग)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-06-10/2025- 3985

पटना, दिनांक- 07.04.2025

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
07/04/25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-06-10/2025- 3985

पटना, दिनांक- 07.04.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
07/04/25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-06-10/2025- 3985

पटना, दिनांक- 07.04.2025

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
07/04/25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 6/अ0प्र0-06-10/2025- 3985

पटना, दिनांक- 07.04.2025


प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /जिलाधिकारी /उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही उपर्युक्त पदस्थापन स्थान के संबंध में पूर्व में निर्गत अन्य अधिसूचना/कार्यालय आदेश/निदेश विलोपित समझे जायेंगे।
2. (क) यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को संबोधित कर शुद्धिपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाए।

(ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे।

(ग) नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अगर कोई कठिनाई हो तो विभागीय अवर सचिव से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय।

(घ) स्थानान्तरण से संबंधित उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

  
07/04/25  
सरकार के अवर सचिव